बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-43
22/01/2019

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने हेतु फरवरी में आरंभ हो रहे विधानमण्डल सत्र में विधेयक लाने का दिया निर्देश

पटना, 22 जनवरी 2019 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग में राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने के संदर्भ में उच्चस्तरीय विमर्श किया। इस विमर्श में मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, महाधिवक्ता श्री ललित किशोर, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा उपस्थित थे।

विमर्श के क्रम में महाधिवक्ता श्री ललित किशोर के कानूनी परामर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिये अलग से अधिनियम बनाना आवश्यक है। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने अधिनियम बनाने हेतु अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री आमिर सुबहानी को निदेशित किया। उन्होंने निर्देश दिया कि उक्त अधिनियम को फरवरी माह में आरंभ हो रहे विधानमण्डल सत्र में प्रस्तुत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय और सभी प्रक्रियायें फरवरी माह के भीतर पूर्ण कर ली जाय।

******